

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

तबस्सुम खातुन बनाम नसीमा खातुन वगै०

विविध वाद संख्या -54/2024

U/S - 144 Cr. P. C.

01

आदेश की
क्र०सं० और
तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

प्रथम पक्ष:-

1. तबस्सुम खातुन, पति - गुलाम मोहम्मद,
साकिन - केशवारी, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह।

बनाम

द्वितीय पक्ष:-

1. नसीमा खातुन, पति - सहादत अंसारी,
2. खातामा खातुन, पति - खलील अंसारी,
समी साकिन- केशवारी, थाना - सरिया, जिला- गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात् प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने-अपने दावे के समर्थन में कारण-पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	बौहदी
केशवारी	06	1751	08 डी०	उ०- महावीर राणा, द०- रोजन मियां, पु०- दिल मोहम्मद, प०- नकुल राणा वगै०।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने-अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 19.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :-

1. लिखित आवेदन - कुल 03 पृष्ठ, प्रदर्श A-1
2. कुंजो मियां वगै० के नाम से आफलाईन खतियान की छायाप्रति, कुल - 07 पृष्ठ, प्रदर्श A-2
3. कुंजो मियां वगै० के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, कुल - 01 पृष्ठ, प्रदर्श A-3
4. तबस्सुम खातुन के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल - 01 पृष्ठ, प्रदर्श A-4

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक- 15.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण-पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दमखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
सरिया (गिरिडीह)

1. लिखित कारण-पृच्छा - कुल 03 पृष्ठ, प्रदर्श B-1
2. कुंजो मियां वगै० के नाम से ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति - कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श B-2
3. दिनांक - 17.03.2024 का नक्शा एवं फैसला की छायाप्रति - कुल 02 पृष्ठ, प्रदर्श B-3
4. दिनांक - 20.03.2024 में फैसले की छायाप्रति - कुल 01 पृष्ठ, प्रदर्श B-4

थाना सरिया का प्रतिवेदन -

थाना प्रभारी, सरिया का ज्ञापांक- 713 दिनांक - 09.04.2024 कुल - 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन - 01 पृष्ठ) - प्रदर्श C-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण -पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि -

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी
केशवारी	06	1751	08 डी०	उ०- महावीर राणा, द०- रोजन मियां, पु०- दिल मोहम्मद, प०- नकुल राणा वगै०।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं० - 06, खतियान में कुंजो मियां वगै० के नाम पर दर्ज है।
3. प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि खतियान में प्रथम पक्ष के परदादा ससुर कुंजो मियां वगै० के नाम पर दर्ज है तथा अंचल सरिया, मौजा - केशवारी के पंजी II, भोलूम नं० 1, पेज नं० - 35 पर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है, तथा प्रथम पक्ष के द्वारा अपने बात के समर्थन में ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति, ऑफलाईन एवं ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न की गई है।
4. द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि रैयती खाता की भूमि है तथा खतियान में कुंजो मियां वगै० के नाम से दर्ज है, तथा उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं, तथा खतियानी बंटवारा के अनुसार उक्त विवादित प्लॉट में उभय पक्ष का हिस्सा 2.33 डी० - 2.33 डी० होता है तथा उभय पक्ष अपने - अपने हिस्से पर कायम काबिज है, अतः प्रथम पक्ष के द्वारा मुकदमा दायर करना उचित नहीं है।

चूंकि दोनों पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं, तथा दोनों पक्ष के बीच हक - हकीयत को लेकर विवाद है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत कराये।

कानून व्यवस्था संघारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15.06.2024
अनुमंडल अधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर-सरिया।

15.06.2024
अनुमंडल अधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर-सरिया।